

तृतीय अनुसूची [नियम 24(5) (क)] (4)

प्रारूप-425 क

(समूह 'घ' के सरकारी सेवकों से भिन्न सरकारी सेवकों के लिए)

सामान्य भविष्य निधि लेखा में अतिशेष के 90 प्रतिशत के अंतिम भुगतान के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप।

सेवा में,

(आहरण एवं वितरण अधिकारी)

महोदय,

मैं सेवानिवृत्त होने वाला/वाली हूं।मास के लिए सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी पर चला गया/गयी हूं/सरकारी सेवा से त्याग पत्र दे चुका/चुकी हूं और त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया है। मैं दिनांक के पूर्वान्ह/अपराह्न से सेवोन्मुक्त/पदच्युत कर दिया गया /गयी हूं।

2— मैं अनुरोध करता /करती हूं के मेरे सामान्य भविष्य निधि लेखा में मेरे जमा खाते में विद्यमान अतिशेष के 90 प्रतिशत का नियमों के अधीन देय ब्याज और बोनस (यदि कोई हो) सहित भुगतान मुझे किया जाय। मेरे भविष्य निधि लेखा संख्या..... है।

3— 20..... केमास के मेरे वेतन बिल से भविष्य निधि अभिदान के रूप मेंरु0 की धनराशि की अंतिम बार कटौती की गई थी।

4— मैं प्रमाणित करता हूं/करती हूं कि मैंने चालू वर्ष तथा पूर्ववर्ती पांच वित्तीय वर्षों के दौरान अपने भविष्य निधि लेखा से न तो कोई अस्थाई अग्रिम लिया है और न कोई अंतिम प्रत्याहरण किया है। चालू तथा पांच पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने भविष्य निधि लेखा से मेरे द्वारा लिये गये अंतिम प्रत्याहरण का ब्यौरा/अंतिम अस्थायी अग्रिम का ब्यौरा और साथ-साथ वसूली का भी ब्यौरा नीचे दिया गया है।

क— अंतिम प्रत्याहरण

क्रम संख्या	प्रत्याहरण की धनराशि	आहरण का दिनांक
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

ख-अस्थायी अग्रिम

अग्रिम की धनराशि	आहरण का दिनांक	किस्तों की संख्या जिसमें धनराशि की वसूली की जानी हो	आवेदन पत्र के दिनांक तक वसूल की गई किस्तों की संख्या और धनराशि	आवेदन पत्र के दिनांक तक वसूल न की गई किस्तों की संख्या और धनराशि	यदि वसूली नियमित न हो रही तो उसके कारण दीजिए

5— मैं एतद्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि बीमा की किस्त (प्रीमियम) के भुगतान के लिए चालू और पांच पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने भविष्य निधि लेखा से मेरे द्वारा कोई धनराशि प्रत्याहृत नहीं की गई थी। निम्नलिखित धनराशियां प्रत्याहृत की गयी थीं :

क्रम संख्या	धनराशि	आहरण एवं दिनांक
1		
2		
3		

6— भविष्य निधि से मेरे द्वारा वित्तपोषित ऐसी जीवन बीमा पालिसियों का ब्यौरा जिन्हें निर्मुक्त किया जाना है, नीचे दिया गया है :-

क्रम संख्या	पालिसी संख्या	भारतीय जीवन बीमा निगम की शाखा का नाम	बीमाकृत धनराशि
1			
2			
3			

7— मैं वचन देता/देती हूँ कि यदि सामान्य भविष्य निधि पास बुक में अतिशेष के 90 प्रतिशत से अधिक धनराशि का कोई भुगतान मुझको किया जाता है और ऐसे अधिक भुगतान का समायोजन अवशिष्ट (भाग-दो के अनुसार अनुमन्य) धनराशि के भुगतान से या उपादान से न किया गया हो तो मैं ऐसी अधिक धनराशि का भुगतान सरकार को कर दूंगा/दूंगी।

स्थान.....
दिनांक

भवदीय
(हस्ताक्षर)
नाम और पता

भाग—दो

सामान्य भविष्य निधि लेखा में अवशिष्ट धनराशि का अंतिम भुगतान करने के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप

सेवा में

महालेखाकार लेखा एवं हकदारी एक/दो,
उत्तरांचल, देहरादून।
(आहरण एवं वितरण अधिकारी के माध्यम से)

महोदय,

मैं सेवानिवृत्त होने वाला/वाली हूँ मास के लिए सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी पर चला गया/गयी हूँ/ सरकारी सेवा से त्याग पत्र दे चुका/चुकी हूँ और त्याग पत्र स्वीकार कर लिया गया है। मैं दिनांक के पूर्वान्ह/अपराह्न से सेवामुक्त/पदच्युत कर दिया गया/गयी हूँ।

2— मैं अपने सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या..... में अपने जमा खाते में विद्यमान अतिशेष के 90 प्रतिशत का, नियमों के अधीन देय ब्याज और बोनस (यदि कोई हो) सहित भुगतान करने के लिए एक आवेदन पत्र (उर्पयुक्त भाग एक द्वारा) प्रस्तुत कर दिया गया है। मैं एतद्वारा अनुरोध करता/करती हूँ कि मेरे सामान्य भविष्य निधि लेखा में अतिशेष के 90 प्रतिशत का भुगतान करने के पश्चात् अवशिष्ट धनराशि का भी भुगतान मुझे आहरण एवं वितरण अधिकारी/कोषागार/उपकोषागार के माध्यम से करा दिया जाय।

3— *राजपत्रित अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित मेरे नमूना हस्ताक्षर दो प्रतियों में संलग्न है।

स्थान

दिनांक

भवदीय

(हस्ताक्षर)

नाम और पता

*पैरा 3 केवल तब लागू होता है जब कोषागार/उप कोषागार के माध्यम से भुगतान की इच्छा की जाय।

भाग—तीन

मृत अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि लेखा में अतिशेष के 90 प्रतिशत का अंतिम भुगतान करने के लिए आवेदन—पत्र का प्रारूप।

(नामांकितियों द्वारा या यदि कोई नामांकन ना हो, तो अन्य दावेदारों द्वारा उपयोग किये जाने हेतु)
सेवा में

(आहरण एवं वितरण अधिकारी)

महोदय,

यह अनुरोध किया जाता है कि श्री/श्रीमती के सामान्य भविष्य निधि लेखा में विद्यमान अतिशेष के 90 प्रतिशत का नियमों के अधीन देय ब्याज और बोनस (यदि कोई हो) सहित भुगतान करने का प्रबन्ध किया जाय। आवश्यक विवरण नीचे दिये गये हैं—

- 1- सरकारी सेवक का नाम.....
- 2- सरकारी सेवक द्वारा धृत पद.....
- 3- मृत्यु का दिनांक (मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न कीजिए).....
- 4- भविष्य निधि लेखा संख्या.....
- 5- अभिदाता के नियम-2 में यथा परिभाषित परिवार के सदस्यों का ब्यौरा:-

क्रम संख्या	नाम	अभिदाता से संबंध	अभिदाता की मृत्यु के दिनांक को आयु	अभिदाता की पुत्री या अभिदाता के मृत पुत्र की पुत्री के मामले में यह उल्लेखित करें कि वह अभिदाता की मृत्यु के दिनांक को अविवाहित थी या विवाहित थी या विधवा थी
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				

- 6- अभिदाता की मृत्यु के दिनांक को जीवित नामांकितियों का ब्यौरा, यदि नामांकन हो :-

क्रम संख्या	नामांकिती का नाम	अभिदाता से संबंध	नामांकिती का अंश	दावा का कारण, यदि नामांकित अभिदाता के परिवार का सदस्य न हो
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				

- 7- किसी अवयस्क की जिसकी मां (अभिदाता की विधवा) हिन्दू न हो, देय धनराशि के मामले में दावे का समर्थन यथास्थिति, क्षतिपूर्ति बंध पत्र या संरक्षण प्रमाण पत्र द्वारा किया जाना चाहिये।

- 8- यदि अभिदाता का कोई परिवार न हो और, कोई नामांकन न हो, तो ऐसे व्यक्तियों के नाम जिनको भविष्य निधि की धनराशि देय हो (देय प्रोबेट-पत्र या उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र आदि द्वारा समर्थित किया जायेगा)

क्रम संख्या	नाम	अभिदाता से संबंध	पता
1			
2			
3			
4			

- 9— दावेदार/दावेदारों का धर्म
 10— भुगतान आहरण एवं वितरण अधिकारी के माध्यम से/.....कोषागार/उपकोषागार के माध्यम से बांछित है। इस संबंध में सेवारत राजपत्रित अधिकारी/मजिस्ट्रेट, द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न हैं—
- एक— वैयक्तिक पहचान के चिन्ह—
 दो— बाये/दाये हाथ का अंगुठे और अंगुलियों के निशान (आशिक्षित दावेदारों के मामले में)
 तीन— नमूने के हस्ताक्षर, दो प्रतियों में (शिक्षित दावेदारों के मामले में)
- 11— मैं/हम वचन देता हूँ/देते हैं कि यदि सामान्य भविष्य निधि पासबुक में विद्यमान अतिशेष के 90 प्रतिशत से अधिक किसी धनराशि का भुगतान मुझको/हम लोगों को किया गया हो और ऐसे अधिक भुगतान का समायोजन (भाग चार के अनुसार अनुमन्य) अवशिष्ट धनराशि के भुगतान से या उपादान से नहीं किया गया है। तो मैं/हम लोग सरकार को ऐसी अधिक धनराशि का भुगतान करूंगा/करूंगी/करेंगे।

भवदीय

(दावेदार/दावेदारों) के हस्ताक्षर
पूरा नाम और पता

भाग—चार

मृत अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि लेखा में अवशिष्ट धनराशि के अंतिम भुगतान के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप (नामांकितियों द्वारा यदि कोई नामांकन न हो तो अन्य दावेदारों द्वारा उपयोग किये जाने के लिए) सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) एक/दो
उत्तरांचल देहरादून।
(आहरण एवं वितरण अधिकारी के माध्यम से)

महोदय,

मैंने /हम लोगों ने श्री/ श्रीमती..... के सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या..... में अतिशेष के 90 प्रतिशत का, नियमों के अधीन देय ब्याज और बोनस (यदि कोई हो) सहित भुगतान करने के लिए एक आवेदन पत्र (उपर्युक्त भाग तीन द्वारा) प्रस्तुत कर दिया है। एतदद्वारा अनुरोध किया जाता है कि उपर्युक्त अतिशेष के 90 प्रतिशत का भुगतान करने के पश्चात अवशिष्ट धनराशि का भी भुगतान मुझे/हम लोगों को आहरण एवं वितरण अधिकारी..... कोषागार/उपकोषागार के माध्यम से किया जाय।

स्थान.....
दिनांक

भवदीय

(दावेदार/दावेदारों) के हस्ताक्षर
पूरा नाम और पता

(आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा उपयोग के लिए)

- 1- श्री / श्रीमती..... का भविष्य निधि लेखा संख्या..... हैं
- 2- वह सेवानिवृत्त हो गया है/हो गयी है / सेवानिवृत्त होगा / होगी मास के लिए सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी पर चला गया है/चली गयी है / उसने सरकारी सेवा से त्यागपत्र दे दिया है, और उसका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया है। उसे दिनांक..... के पूर्वाह्न/अपराह्न से सेवोन्मुक्त/पदच्युत कर दिया गया है।
- 3- रूपये की अंतिम कटौती और अग्रिम की वापसी के लिए रूपये की वसूली उसके वेतन से कोषागार के वाउचर संख्या..... दिनांक..... से किया गया था और उसे उपर्युक्त वाउचर के साथ संलग्न रूपये की सामान्य भविष्य निधि अनुसूची में सम्मिलित किया गया।
- 4- प्रमाणित किया जाता है कि उसे चालू वर्ष तथा पाँच पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों में न तो कोई अस्थाई अग्रिम स्वीकृत किया गया है और न उसके भविष्य निधि लेखा से कोई अंतिम प्रत्याहरण किया गया था।

या

प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित अंतिम प्रत्याहरण या अनन्तिम अस्थाई अग्रिम उनको स्वीकृत किये गये थे और चालू तथा पाँच पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान उनके भविष्य निधि लेखा से प्रत्याहृत किये गये थे।

(क)- अंतिम प्रत्याहरण-

क्रम संख्या	प्रत्याहरण की धनराशि	आहरण का दिनांक	वाउचर संख्या	कोषागार का नाम	लेखाशीर्षक
1					
2					
3					
4					

(ख)- अस्थाई अग्रिम:-

क्रम संख्या	अग्रिम की धनराशि	आहरण का दिनांक	वाउचर संख्या	कोषागार का नाम	लेखा शीर्षक	मास और वर्ष जिसमें वसूली पूरी हुई
1						
2						
3						
4						

- 5- प्रमाणित किया जाता है कि बीमा की किस्त के भुगतान के लिए चालू वर्ष और पूर्ववर्ती पाँच वर्षों के दौरान उसके भविष्य निधि लेखा से कोई धनराशि प्रत्याहृत नहीं की गई/निम्नलिखित धनराशि प्रत्याहृत की गई।

क्रम संख्या	धनराशि	आहरण का दिनांक	वाउचर संख्या	कोषागार का नाम	लेखा शीर्षक
1					
2					
3					
4					

6- दिनांक (वह दिनांक जब धनराशि देय हो चुकी हो) को उसकी सामान्य भविष्य निधि पास बुक में यथा अतिशेष जिसके अन्तर्गत उस दिनांक तक देय व्याज और (बोनस यदि कोई हो) भी है।
 संलग्न परिकलन शीट के अनुसार रुपये (अंकों में) है और उपर्युक्त अतिशेष का 90 प्रतिशत रुपया होता है।

7- प्रमाणित किया जाता है कि सामान्य भविष्य निधि से सम्बन्धित कोई वसूली उससे नहीं की जानी है।
 अतएव रुपये (अंकों में) रुपये शब्दों में जो अभिदाता की सामान्य भविष्य निधि पासबुक में अतिशेष का 90 प्रतिशत है का भुगतान अभिदाता का या यदि उसकी मृत्यु हो गई है तो दावेदार/दावेदारों के नाम को करने की संस्तुति की जाती है।
 या
 सामान्य भविष्य निधि से सम्बन्धित निम्नलिखित वसूलियां अभिदाता से की जाती हैं।

क्रम संख्या	वसूलियों का विवरण	धनराशि (₹)
1		
2		
3		
4		

ऊपर वर्णित वसूलियों के मददे रुपये की धनराशि की कटौती करने के पश्चात् अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि पासबुक में अतिशेष के केवल 90 प्रतिशत में से (अभिदाता का यदि उसकी मृत्यु हो गई है तो दावेदार/दावेदारों का नाम) को रुपये (अंकों में) रुपये (शब्दों में) के भुगतान की संस्तुति की जाती है।

8-अभिदाता की मृत्यु दिनांक को हुई। मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न है।

9-परिकलन शीट (तीन प्रतियों में) और शेष धनराशि के भुगतान के आवेदन पत्र सहित को अग्रसारित ।

दिनांक आहरण एवं वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर
 और मुहर

जाँचकर्ता लेखा प्राधिकारी द्वारा उपयोग के लिए

- 1-प्रमाणित किया जाता है कि मैंने संलग्न परिकलन शीट और उपर्युक्त गणनाओं की जाँच कर ली है, जो सही है।
 2- रुपये (अंकों में) रुपये (शब्दों में) के भुगतान की संस्तुति की जाती हैं।
 3- (स्वीकृति प्राधिकारी) को अग्रसारित ।

दिनांक जाँचकर्ता लेखा प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर

स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा उपयोग के लिए

- 1- (अभिदाता का यदि उसकी मृत्यु हो गयी है तो दावेदार/दावेदारों के नाम) को रूपये (अंकों में)
रूपये (शब्दों में) का भुगतान स्वीकृत किया गया ।
- 2- शेष धनराशि के भुगतान का आवेदन पत्र तथा परिकलन शीट और सामान्य भविष्य निधि पासबुक महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून को अग्रसारित की गयी। सामान्य भविष्य निधि पासबुक भुगतान प्राधिकृत करने के पश्चात् आहरण एवं वितरण अधिकारी को वापस की जाय।

दिनांक.....

स्वीकृति प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर

यदि अभिदाता की मृत्यु हो गयी हो तो क्रम संख्या 8 के विरुद्ध सूचना प्रस्तुत की जायेगी।

तृतीय अनुसूची [नियम 24(4)]

प्रारूप-425 (ख)

(समूह 'घ' के सरकारी सेवकों के लिए)

सामान्य भविष्य निधि लेखा में अतिशेष के 90 प्रतिशत के अंतिम भुगतान के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप ।
सेवा में,

(लेखा अधिकारी)

महोदय,

मैं सेवानिवृत्त होने वाला/वाली हूँ। सास के लिए सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी पर चला गया/गयी हूँ/सरकारी सेवा से त्यागपत्र दे चुका हूँ/चुकी हूँ। और त्याग पत्र स्वीकार कर लिया गया है। मैं दिनांक के पूर्वान्ह/अपराह्न से सेवोन्मुक्त/पदच्युत कर दिया गया/गयी हूँ।

2- मैं अनुरोध करता /करती हूँ कि मेरे सामान्य भविष्य निधि में मेरे जमाखाते में विद्यमान सम्पूर्ण धनराशि का नियमों के अधीन देय ब्याज और बोनस (यदि कोई हो) सहित भुगतान मुझे किया जाय।

3- मेरे भविष्य निधि लेखा संख्या है। मैं आहरण एवं वितरण अधिकारी के माध्यम से भुगतान लेने का/की इच्छुक हूँ।

क्रम संख्या	पालिसी संख्या	जीवन बीमा निगम की शाखा का नाम	बीमा की धनराशि
1			
2			
3			
4			

स्थान-

दिनांक-

भवदीय

हस्ताक्षर

नाम-

पता-

भाग-दो

मृत अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि लेखा में अंतिशेष के अंतिम भुगतान के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप।
(नामांकितियों द्वारा या जहाँ कोई नामाकन न हो, वहाँ दावेदारों द्वारा उपयोग किये जाने के लिए)
सेवा में,

(लेखा अधिकारी)

महोदय,

यह अनुरोध किया जाता है कि श्री/श्रीमती..... के सामान्य भविष्य निधि लेखा में विद्यमान अंतिशेष के 90 प्रतिशत का नियमों के अधीन देय ब्याज और बोनस (यदि कोई हो) सहित भुगतान करने का प्रबन्ध किया जाय। आवश्यक विवरण नीचे दिये गये हैं:-

- 1— सरकारी सेवक का नाम.....
- 2— सरकारी सेवक द्वारा धृत पद—.....
- 3— मृत्यु की दिनांक (मृत्यु प्रमाण –पत्र संलग्न कीजिए).....
- 4— भविष्य निधि लेखा संख्या.....
- 5— अभिदाता के नियम 2 में यथा परिभाषित 'परिवार' के सदस्यों का व्यौरा.....

क्रम संख्या	नाम	अभिदाता से संबंध	अभिदाता की मृत्यु के दिनांक को आयु	अभिदाता की पुत्री या अभिदाता के मृत पुत्र की पुत्री के मामले में यह उल्लिखित करें कि वह अभिदाता की मृत्यु के दिनांक को अविवाहित/विवाहित या विधवा थी
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				

- 6— अभिदाता की मृत्यु के दिनांक को जीवित नामांकितियों का व्यौरा, यदि नामाकन हो:-

क्रम संख्या	नामांकिती का नाम	अभिदाता से संबंध	नामांकिती का अंश	दावे का कारण, यदि नामांकित/अभिदाता के परिवार का सदस्य न हो
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				

- 7— किसी अवयस्क की, जिसकी माँ (अभिदाता की विधवा) हिन्दू न हो, देय धनराशि के मामले में, दावे का समर्थन, यथारिति, क्षतिपूर्ति बंध-पत्र या संरक्षण प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित प्रमाणित होना चाहिए ।
- 8— यदि अभिदाता का कोई परिवार न हो, और कोई नामांकन न हो, तो ऐसे व्यक्तियों के नाम जिनको भविष्य निधि की धनराशि देय हो (देय प्रोबेट-पत्र या उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र आदि द्वारा समर्थित किया जायेगा) :

क्रम संख्या	नाम	अभिदाता से संबंध	पता
1			
2			
3			
4			

- 9— दावेदार / दावेदारों का धर्म कोषागार /
- 10— भुगतान आहरण एवं वितरण अधिकारी के माध्यम से उपकोषागार के माध्यम से वांछित है । इस संबंध में सेवारत राजपत्रित अधिकारी / मजिस्ट्रेट द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न है :-
- (एक) वैयक्तिक पहचान के चिन्ह,
- (दो) बाँये / दाँये हाथ के अंगुठो और अंगुलियों के निशान (अशिक्षित दावेदारों के मामले में)
- (तीन) नमूने के दो हस्ताक्षर, दो प्रतियों में (शिक्षित दावेदारों के मामले में)।
- 11— मैं / हम वर्चन देता हूँ / देते हैं / देती हूँ कि यदि सामान्य भविष्य निधि पासबुक में विद्यमान अतिशेष के 90 प्रतिशत से अधिक किसी धनराशि का भुगतान मुझको / हम लोगों को किया गया हो और ऐसे अधिक भुगतान का समायोजन (भाग चार के अनुसार अनुमन्य) अवशिष्ट धनराशि के भुगतान से या उपादान से नहीं किया गया है तो मैं / हम लोग सरकार को ऐसी अधिक धनराशि का भुगतान करुंगा / करुंगी / करेंगे

भवदीय,

स्थान.....

दिनांक.....

(दावेदार / दावेदारों) के हस्ताक्षर
पूरा नाम और पता

(कार्यालय द्वारा उपयोग के लिये)

1. श्री / श्रीमती का भविष्य निधि लेखा संख्या है ।
2. वह सेवानिवृत्त हो गया है / हो गयी है / सेवानिवृत्त होगा / होगी मास के लिए सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी पर चला गया है / चली गयी है / उसने सरकारी सेवा से त्याग-पत्र दे दिया है और उसका त्याग-पत्र स्वीकार कर लिया गया है । उसे दिनांक के पूर्वान्ह / अपराह्न से सेवोन्मुक्त / पदच्युत कर दिया गया है ।
3. रूपये की अन्तिम निधि कटौती और अग्रिम की वापसी के लिये रूपये की वसूली उसके वेतन से कोषागार के रूपये के वाउचर संख्या दिनांक से किया गया था और उसे उपर्युक्त वाउचर के साथ संलग्न रूपये की सामान्य भविष्य निधि अनुसूची में सम्मिलित किया गया ।

4. प्रमाणित किया जाता है कि उसे चालू वर्ष तथा पाँच पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों में न तो कोई अस्थाई अग्रिम स्वीकृत किया गया है और न उसके भविष्य निधि लेखा से कोई अन्तिम प्रत्याहरण किया गया।

या

प्रमाणित किया जाता है कि उनके भविष्य निधि लेखे में चालू तथा पाँच पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान निम्नलिखित अन्तिम प्रत्याहरण या अनन्तिम अग्रिम उनको स्वीकृत एवं प्रत्याहृत किये गये ।—

(क) अन्तिम प्रत्याहरण

क्रम संख्या	प्रत्याहरण की धनराशि	आहरण का दिनांक	वाउचर संख्या	कोषागार का नाम	लेखाशीर्षक
1					
2					
3					
4					

(ख) अस्थाई अग्रिम

क्रम संख्या	अग्रिम की धनराशि	आहरण का दिनांक	वाउचर संख्या	कोषागार का नाम	लेखाशीर्षक	मास और वर्ष जिसमें वसूली पूरी हुई
1						
2						
3						
4						

5. प्रमाणित किया जाता है कि बीमा की किस्त के भुगतान के लिए चालू वर्ष और पूर्ववर्ती पांच वर्षों के दौरान उसके भविष्य निधि लेखा से कोई धनराशि प्रत्याहृत नहीं की गई / निम्नलिखित धनराशि प्रत्याहृत की गयी ।—

क्रम संख्या	प्रत्याहृत धनराशि	आहरण का दिनांक	वाउचर संख्या	कोषागार का नाम	लेखाशीर्षक
1					
2					
3					
4					

6. दिनांक (वह दिनांक जब धनराशि देय हो गयी हो) को उसकी सामान्य भविष्य निधि पासबुक में यथा अतिशेष जिसके अंतर्गत उस दिनांक तक देय ब्याज और बोनस (यदि कोई हो) भी है,
रुपया (अंकों में)
रुपया (शब्दों में) है ।

7. प्रमाणित किया जाता है कि सामान्य भविष्य निधि से सम्बन्धित कोई वसूली उससे नहीं की जानी है ।
 अतएव (अभिदाता का या यदि उसकी मृत्यु हो
 गयी है तो दावेदार/दावेदारों का / के नाम) को रुपये (अंकों में)
 रुपये (शब्दों में) के भुगतान की संस्तुति की जाती है ।

या

सामान्य भविष्य निधि से सम्बन्धित निम्नलिखित वसूलियां अभिदाता से की जानी हैं –

क्रम संख्या	वसूलियों का विवरण	धनराशि (रु०)
1		
2		
3		
4		

ऊपर वर्णित वसूलियों के महे रुपये की धनराशि की कटौती करने के पश्चात् अभिदाता
 के सामान्य भविष्य निधि पासबुक में अतिशेष में से
 (अभिदाता की या यदि उसकी मृत्यु हो गयी है तो दावेदार / दावेदारों का नाम) को केवल
 रुपये (अंकों में)
 रुपये (शब्दों में) के भुगतान की संस्तुति की जाती है ।

8. अभिदाता की मृत्यु दिनांक को हुई (मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न है)।

दिनांक

लेखाधिकारी के कार्यालय में सम्बद्ध
 पदाधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम

(लेखा अधिकारी द्वारा उपयोग के लिये)

..... (अभिदाता का या यदि उसकी मृत्यु हो गयी हो
 तो, दावेदार/दावेदारों का / के नाम) को रुपये (अंकों में)
 रुपये (शब्दों में) का भुगतान स्वीकृत किया गया ।

दिनांक

लेखा अधिकारी के हस्ताक्षर
 और मुहर